(15)

श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा, जिला रीवा म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2014

R. 4165-III/14

COURT FEE 20 Rs भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — Rs. 20/-

804
20.11.14

भगवानदास पिता गोपी चमार साकिन धौंदर, तहसील सरई जिला सिंगरौली म0प्र0 ------- ---------- आवेदक / निगराकार

बनाम

शासन म0प्र0 ------ ------ अनावेदक/ गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार सरई के राजस्व प्रकरण क्र0 6अ-74/11-12 में पारित आदेश दिनांक 6-8-13।

श्री महेन्द्र अग्निहोत्री एड. के द्वारा आज दिनांक 20.11.14 प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3860
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ________ को प्राप्त
5/12/14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन 1959ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है:-

1- यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवम न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तगी के है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4165–तीन/2014 जिला सिंगरौली

भगवानदास विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार सरई जिला सिंगरौली के प्रकरण कमांक 6/अ–74/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 06–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। निगरानी प्रकरण एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत अपील किये जाने का प्रावधान है। दर्शित परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किये जाने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	